124
12.10

संख्या– /XXVII(1)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नव सृजित नगर पालिका परिषदः–रानीखेत/ शिवालिक नगर,
उत्तराखण्ड।
(संलग्नक सूची के अनुसार)

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः: दिनांकः 06 अक्टूबर, 2017

विषयः– चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में समस्त नव सृजित नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2017–18 की द्वितीय छमाही किश्त हेतु धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में नव सृजित नगर पालिका परिषदों को संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 की द्वितीय छमाही किश्त हेतु कुल **₹1,25,00,000.00 (₹ एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** की धनराशि संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही हैः–

1. संकमित धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–316/XXVII(1)/ 2017, दिनांकः 31 मार्च, 2017 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/ समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
2. आयोग की संस्तुतियों के कम में शहरी स्थानीय निकायों को संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि, पथ प्रकाश व जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों के भुगतान करने के उपरान्त यदि धनराशि शेष रहती है तो अवशेष धनराशि से केवल सफाई व स्वच्छता सम्बन्धी वाहन यथाः कूड़ा वाहन, डम्पर, टिप्पर, जे.सी.बी. कम्पेक्टर वाहन कय किये जा सकते हैं परन्तु स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसेः–जीप और स्टाफ कार कदापि कय नहीं किये जायेंगे। यह धनराशि बचनबद्ध मदों में व्यय की जायेगी।
3. संकमित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
4. आयोग द्वारा किसी भी शहरी स्थानीय निकाय को तब तक कोई धनराशि अन्तरित नहीं किये जाने की संस्तुति की है, जब तक निदेशक, लेखा परीक्षा या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित न कर दिया जाय कि पेंशन निधि हेतु अंशदान तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान निकाय द्वारा कर दिया गया है। द्वितीय वर्ष अर्थात वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त तब तक अवमुक्त नहीं की जायेगी जब तक निदेशक, लेखा परीक्षा से पिछले वर्ष के लिये प्रमाण–पत्र प्राप्त न कर लिया जाय।
5. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित निकायों, के अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित करा कर वित्त आयोग निदेशालय, कमरा न0–223, द्वितीय तल, विश्वकर्मा भवन, सचिवालय, देहरादून को कार्यो के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।
6. नव सृजित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹1.00 करोड़ विशिष्ट सहायक अनुदान एवं ₹25.00 लाख विशेष सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹1.25

करोड़ की धनराशि दो किश्तों में अंतरित की जायेगी, जिसमें से ₹25.00 लाख की धनराशि उन मदों पर व्यय की जायेगी जो मुख्य रूप से पूंजीगत कार्य या राजस्व व्यय की प्रारम्भिक मदें हो परन्तु इस अनुदान से कोई स्टाफ कार/ जीप क्रय नहीं की जा सकेगी। यह अपेक्षित है कि प्रथम वर्ष इन निकायों द्वारा अपना कार्यालय आदि स्थापित किया जायेगा और वर्ष 2018–19 से स्वयं का राजस्व अर्जित करना प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

7. निदेशक, शहरी विकास विभाग निकायों को अंतरित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।
8. नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगें। कोषागार से आहरित धनराशि की बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।
9. सम्बन्धित निकाय की अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगर पालिका / नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्याः– 1008 (1)/XXVII(1)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी., उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8– सम्बन्धित मुख्य/ वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः 1008 /XXVII(1)/ 2017

::देहरादून:: दिनांकः 06 अक्टूबर, 2017

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में नव सृजित नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2017–18 की द्वितीय छमाही किश्त हेतु धनराशि संकमण

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2017–18 की द्वितीय छमाही किश्त हेतु देय संकमण
अल्मोड़ा	1	रानीखेत	6250
हरिद्वार	2	शिवालिक नगर	6250
योग			**12500**

(₹ एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

बिभागाध्यक्ष का नाम - Secretary Finance
बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2017-2018

अनुदान शंख्या - 007 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें)

लेखाशीर्षक- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
01 - नगरीय स्थानीय निकाय
192 - नगर पालिका/नगर निकाय
03 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन
00 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन

NonPlan Voted

S.No	Treasury	DDO Name	Allotment Id	Allotment Date	Previous Allotment	Current Allotment	Name of local bodies
1	0100-Dehradun	4183-District Magistrate (For Grants)Dehradun	H1710070228	06-OCT-2017	272380000	129125000	
2	0100-Dehradun	4183-District Magistrate (For Grants)Dehradun	H1710070239	06-OCT-2017	272380000	7135000	
3	3600-Nainital	4183-District Magistrate (For Grants)Nainital	H1710070230	06-OCT-2017	155932000	77966000	
4	3700-Almora	4183-District Magistrate (For Grants)Almora	H1710070224	06-OCT-2017	46286000	22518000	
5	3700-Almora	4183-District Magistrate (For Grants)Almora	H1710070240	06-OCT-2017	46286000	6250000	
6	3800-Pithoragarh	4183-District Magistrate (For Grants)Pithoragarh	H1710070232	06-OCT-2017	108844000	54422000	
7	3900-Narendra Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)Narendra Nagar	H1710070235	06-OCT-2017	38706000	8403000	
8	3900-Narendra Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)Narendra Nagar	H1710070234	06-OCT-2017	38706000	10950000	
9	4000-Chamoli (Gopeswar)	4183-District Magistrate (For Grants)Chamoli	H1710070226	06-OCT-2017	100740000	50370000	
10	4100-Uttarkashi	4183-District Magistrate (For Grants)Uttarkashi	H1710070238	06-OCT-2017	50743000	25371000	
11	4200-Garhwal	4183-District Magistrate (For Grants)Pauri	H1710070231	06-OCT-2017	145342000	72671000	
12	6100-New Tehri	4183-District Magistrate (For Grants)Tehri	H1710070236	06-OCT-2017	64630000	32315000	
13	6500-Haridwar	4183-District Magistrate (For Grants)Haridwar	H1710070241	06-OCT-2017	105506000	6250000	
14	6500-Haridwar	4183-District Magistrate (For Grants)Haridwar	H1710070229	06-OCT-2017	105506000	49628000	
15	7500-U S Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)U S Nagar	H1710070237	06-OCT-2017	227862000	120872000	
16	8800-Champawat	4183-District Magistrate (For Grants)Champawat	H1710070227	06-OCT-2017	39304000	19652000	
17	8900-Bageshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Bageswar	H1710070225	06-OCT-2017	19094000	9547000	
18	9000-Rudraprayag	4183-District Magistrate (For Grants)Rudraprayag	H1710070233	06-OCT-2017	20246000	10123000	
	Total :				1858493000	713568000	

(अमित सिंह नेगी)
सचिव,
वित्त, ...